न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानीसिह, (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :— 41/2019

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. भंवरलाल पुत्र मोहनलाल 2. उमरावमल पुत्र मोहनलाल जातियान ओसवाल, निवासीगण भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. तेजाराम पुत्र ढगलाराम 2. विद्या पुत्री ढगलाराम 3. पपड़ो पुत्री ढगलाराम 4. मुथराई पत्नी ढगलाराम जातियान जाट (धायल) निवासीगण पड़ासला कलॉ तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :—वादीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री धीरज चौधरी अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 5 सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक :—

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पड़ासला कलॉ तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 115 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा किस्म नहरी तृतीय आयी हुयी है। उक्त भूमि ढगलाराम पुत्र सूजाराम जाति जाट (धायल) निवासी पड़ासला कलॉ तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की खातेदारी की थी। खातेदार ढगलाराम ने दिनांक 18.12.1975 को खसरा नम्बर 115 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा में अपने बंट व हिस्सेदारी की यानि 3 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि को जरिये बैचान वादी संख्या 1 व 2 के पिता मोहनलाल को कर दिया। उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा का दस्तावेज दिनांक 03.02.1976 को जरिये दस्तावेज संख्या 1032, जिल्द संख्या 14 के पृष्ठ संख्या 339—340 पर उप पंजीयक बिलाड़ा में पंजीयन किया गया। वादी संख्या 1 व 2 के पिता मोहनलाल द्वारा जब से खसरा नम्बर 115 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के पति ढगलाराम जाति जाट (धायल) निवासी पड़ासला कलॉ तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर से दिनांक 18.12.1975 को खरीद किया, तब से वादी संख्या 1 व 2 का कब्जा व का”त शांतिपूर्वक चला आ रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:10 IST
Reason: SelfAttested

है। वादी संख्या 1 व 2 के पिता मोहनलाल ने बैचाननामा के जरिये म्यूटे”ान स्वीकृति के लिए तत्कालीन पटवारी हल्का को रजिस्ट्री की नकल दे दी गयी थी तथा वादो संख्या 1 व 2 के पिता मोहनलाल इसी वि”वास में रहे कि म्यूटे”ान स्वीकृत कर दिया गया है। इस कारण वादी संख्या 1 व 2 के पिता मोहनलाल ने उपरोक्त खरीद”ुदा भूमि खसरा नम्बर 115 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा के राजस्व रेकर्ड की ओर कभी ध्यान ही नही दिया है। तत्प”चात् वादी संख्या 1 व 2 के पिता मोहनलाल का देहान्त दिनांक 25.01.1987 को हो गया था। वादी संख्या 1 व 2 की माताजी दाखीदेवी का भो देहान्त दिनांक 20.04.1989 को हो चुका है। कि अभी 10 दिन पहले वादीगण अपनी खरीद”ुदा भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु हल्का पटवारी के पास गये और जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो हल्का पटवारी ने वादीगण को बताया कि आपका नाम हिस्से व बंट की भूमि में इस जमाबन्दी में नाम दर्ज नही है तो वादीगण को जानकारी हुयी कि बैचाननामा का म्यूटे”ान ही स्वीकृत नही किया हुआ है। उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 115 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा में वादी संख्या 1 व 2 के पिता मोहनलाल ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के पति ढगलाराम से दिनांक 18.12.1975 को रजिस्टर्ड बैचान से खरीद कर लिया था एवं वादी संख्या 1 व 2 के पिता मोहनलाल ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के पति ढगलाराम को प्रतिफल को अदा किया है। इस कारण वादीगण सद्भावी खरीददार है तथा रेकर्डेड खातेदार ढगलाराम पुत्र सूजाराम के हिस्से व बंट”ुदा की खातेदारी भूमि को पूरी कीमत देकर जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा के खरीद किया है तथा खरीद”ुदा भूमि पर काबिज है। गलत एवं अवैध फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 650 से न तो किसी की खातेदारी समाप्त की जा सकती है तथा न ही गलत एवं अवैध नामान्तरकरण से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को विवादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार ही प्राप्त हो सकते है। प्रतिवादी संख्या 1 को बैचान”ुदा भूमि पर किसी प्रकार का कोई ऋण लेने का अधिकार पैदा नही होता है। अतः वादीगण भूमि जरिये खरीद के आधार पर अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

अन्त में वाद पेश कर निवेदन किया कि वादीगण को ग्राम पड़ासला कलां तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 115 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि के खातेदार ढगलाराम पुत्र सुजाराम जाति जाट (धायल) निवासी पड़ासला कलां तहसील बिलाड़ा से उनकी खातेदारी एवं बंटशुदा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 3.02.1976 को जरिये दस्तावेज संख्या 1032, जिल्द संख्या 14 के पृष्ठ संख्या 339–340 के आधार पर वादीगण को खातेदारी का”तकारी की भूमि घोषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:10 IST
Reason: SelfAttested

किये जाने का आदे"ा फरमावे। अवैध नामान्तरकरण संख्या 650 दिनांक 05.07.2012 को आंि"ाक निरस्त फरमाया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नोटिस बाद तामिल पे"ा हुए। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से तारीख पेशी 24.06.2019 को श्री धीरज चोधरी, श्री अशोक कुमार पटेल एडवोकट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जवाब दावा प्रस्तुत करने हेत कई अवसर प्रदान किय गये फिर भी जवाब पेश नहीं करने पर तारीख पेशी 17.03.2020 को जवाब बद किया गया। प्रतिवादी संख्या–5 ने जवाब दावा प्रस्तुत किया। जो जवाब के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने ग्राम पड़ासला कलां तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 115 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा के खातेदार ढगलाराम पुत्र सुजाराम जाति जाट निवासी पड़ासला कलां से जरिय रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 03.02.1976 का भूमि को खरीद कर लिया जिसका नामान्तकरण रेकर्ड में स्वीकृत नहीं किया गया है। राजस्व रेकर्ड में बैचाननामा के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या–5 को कोई आपति नहों है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का जवाब बंद हो जाने तथा प्रतिवादी संख्या 5 का एडमीटेड जवाब पेश होने के कारण पत्रावली में तनकीयात की आव"यकता नही रहो इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र भंवरलाल तथा उसके गवाह किशनाराम, नैनाराम, पप्पाराम के शपथ पत्र पेश किय गये। वादी भंवरलाल बयान देने के लिय उपस्थित हआ लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को तीन से ज्यादा अवसर जीरह करने के लिए प्रदान किये गये, फिर भी उनकी तरफ से कोई जीरह नहीं को गयी, जिस पर तारीख पेशी 13.07.2021 को जीरह प्रतिवादी बंद की गयी एवं पत्रावलो को साक्ष्य प्रतिवादी हेत मुकर्रर किया गया। तारीख पेशी 03.08.2021 क बाद प्रतिवादो संख्या 1 से 4 ने अपनी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर तारीख पेशी 21.09.2021 को प्रतिवादी सख्या 1 से 4 की साक्ष्य बंद की गयी। एवं पत्रावलो को बहस हेतु मुकर्रर किया गया।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पद"र्ा 1 ए बैचाननामा ढगलाराम बहक मोहनलाल दिनांक 18.12.1975, प्रद"र्ा 2 जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 खसरा नम्बर 115 ग्राम पड़ासला कलां, प्रदर्श 3 मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 25.01.1987 मोहनलाल, प्रदर्श 4 मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 20.04.1989 दाखीबाइ के प्रदर्"ात करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:10 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने अपने साक्ष्य में वादपत्र में अंकित तथ्यों का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के पति ढगलाराम ने दिनांक 18.12.1975 को वादीगण के पक्ष में बैचाननामा तहरीर व तकमील किया। वादीगण की उक्त साक्ष्य का प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से कोई खण्डन नही किया गया है एवं न ही कोई जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। जिस पर वादीगण की साक्ष्य अखण्डित रही है। अतः वादीगण के वादपत्र तथा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजों से वादीगण यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के पति ढगलाराम पुत्र सुजाराम जाति जाट (धायल) निवासी पड़ासला कलां ने वादीगण के पक्ष में बैचाननामा निष्पादित किया व भूमि का कब्जा सुपुर्द किया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को भूमि की कीमत भी अदा की है तथा खरीदसुदा भूमि पर वादीगण काबिज का”त है। वादीगण भूमि के खरीद के आधार पर अपनी खातेदारी में राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण का दावा डिक्री किये जाने योग्य है। अतः वादीगण का वाद स्वोकार किया जाकर ग्राम पड़ासला कलां तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 115 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 03.02.1976 को जरिये दस्तावेज संख्या 1032, जिल्द संख्या 14 के पृष्ठ संख्या 339–340 के आधार पर वादीगण की खातेदारी की घोषित की जाती है तथा अवैध नामान्तरकरण संख्या 650 दिनांक 05.07.2012 वादीगण के हितो तक निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना हेतु तहरीर जारी हो। अन्तिम डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फै”ालसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानीसिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:10 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
व इजलास भवानी सिंह,आर.ए.एस.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. भंवरलाल पुत्र मोहनलाल
2. उमरावमल पुत्र माहनलाल
जातियान ओसवाल,
निवासीगण भावी, तहसील
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

1. तेजाराम पुत्र ढगलाराम
2. विद्या पुत्री ढगलाराम
3. पपड़ो पुत्री ढगलाराम
4. मुथराई पत्नी ढगलाराम
जातियान जाट (धायल)
निवासीगण पड़ासला कलॉ
तहसील बिलाड़ा जिला
जोधपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा, जिला
जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 41/2019

निर्णय दिनांक :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री धीरज चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 5 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे”ा होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम पड़ासला कलां तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 115 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 03.02.1976 को जरिये दस्तावेज संख्या 1032, जिल्द संख्या 14 के पृष्ठ संख्या 339–340 के आधार पर वादीगण की खातेदारी की घोषित की जाती है तथा अवैध नामान्तरकरण संख्या 650 दिनांक 05.07.2012 वादीगण के हितो तक निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना हेतु तहरीर जारी हो।

(भवानीसिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फोस कमि”नर			फीस कमि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:10 IST
Reason: SelfAttested

(भवानीसिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा